न्यायालय उप जिलाधिकारी, गोवर्धन जनपद मथुरा ।

वाद संख्या 23 /2016–17, टी 20170150706752

यशपाल पचैया सचिव/प्रबन्धक पचैया शिक्षा समिति जाजन पट्टी आदि

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार
अन्तर्गत धारा– 80, राजस्व संहिता-2006
मौजा– मगोर्रा, तहसील, गोवर्धन (मथुरा)

आदेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 80 के अन्तर्गत प्रार्थी यशपाल पचैया सचिव/प्रबन्धक पचैया शिक्षा समिति जाजनपट्टी व श्रीमती उर्मिला पचैया कालेज जाजनपट्टी मगोर्रा सचिव/प्रबन्धक यशपाल पचैया पुत्र श्री विजय सिंह निवासी जाजनपट्टी मगोर्रा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा द्वारा दिनांक 19.07.2017 को एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी मौजा मगोर्रा के खाता संख्या 1128 खं0स0 2770/2 रकवा 0.432 हे0 मे से रकवा 0.306 हे0 व खाता संख्या 883 खसरा संख्या 2775/7 रकवा 0.713 हे0 कुल दो किता रकवा 1.019 हे0 लगान 15.20 रू0 पर संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज कागजात है तथा मौके पर काबिज व दखील है । उक्त भूमि कृषि प्रयोजन मे नही लाई जा रही है और न ही कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी पालन आदि के प्रयोजन मे लाई जा रही है । प्रश्नगत आराजी सार्वजनिक सिद्वान्त की भूमि नही है और न ही सार्वजनिक सिद्वान्त के प्रयोजन मे अर्जन हेतु प्रस्तावित है । अन्त मे प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उक्त भूमि को अकृषक घोषित किया जावें ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच तहसीलदार गोवर्धन से कराई गई । तहसीलदार गोवर्धन ने अपनी जांच आख्या दिनांक 29.07.2017 के माध्यम से अवगत कराया है प्रार्थी मौजा मगोर्रा के खाता संख्या 1128 खं0स0 2770/2 रकवा 0.432 हे0 मे से रकवा 0.306 हे0 व खाता संख्या 883 खसरा संख्या 2775/7 रकवा 0.713 हे0 कुल दो किता रकवा 1.019 हे0 लगान 15.20 रू0 पर संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज कागजात है तथा मौके पर काबिज व दखील है । उक्त भूमि कृषि प्रयोजन मे नही लाई जा रही है और न ही कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी पालन आदि के प्रयोजन मे लाई जा रही है । प्रश्नगत आराजी सार्वजनिक सिद्वान्त की भूमि नही है और न ही सार्वजनिक सिद्वान्त के प्रयोजन मे अर्जन हेतु प्रस्तावित है । मौके पर प्रश्नगत भूमि खाली है तथा ईटे पड़ी हुई है । पुष्टि हेतु नकल खतौनी, खसरा,नजरी नक्शा, सी.एच.41, 45, छायाप्रति नकल खतौनी 1359 फसली भूमि के फोटोग्राफ संलग्न है । आवेदक द्वारा खसरा संख्या 2770/2 रकवा 0.306 हे0 व खसरा संख्या 2775/7 रकवा 0.713 हे0 कुल दो किता रकवा 1.019 हे0 पर जिलाधिकारी मथुरा की दर सूची के अनुसार 1.30 लाख रू0 प्रति0 हेक्टेयर के अनुसार मु0 1,32,47,000/– रू0 की मालियत पर पर 1 प्रतिशत 1,32,470/–रू0 को लेखाशीर्षक 0029 मे चालान संख्या 10120 दिनांक 01.08.2017 को जमा किया जा चुका है । चालान की प्रति पत्रावली पर संलग्न है । अन्त मे उक्त भूमि को अकृषक घोषित किए जाने हेतु जांच आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है।

अतः प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र तथा तहसीलदार गोवर्धन की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक 29.07.2017 के आधार पर राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत उक्त भूमि को निम्न प्रारूप पर इस शर्त के साथ अकृषक घोषित किया जाता है कि यदि उक्त भूमि पर भविष्य मे कृषि कार्य होता पाया जाता है तो कृषि भूमि मानकर भू–राजस्व इत्यादि योजित कर दिया जावेगा ।

1– किस धारा के अन्तर्गत अकृषक घोषित की जा रही है ।	–	धारा 80 राजस्व संहिता 2006.
2– भूमि किस ग्राम मे स्थित है ।	–	मगोर्रा
3– भूमि का विवरण	–	खाता संख्या 1128 खं0स0 2770/2 रकवा 0.432 हे0 मे से रकवा 0.306 हे0 व खाता संख्या 883 खसरा संख्या 2775/7 रकवा 0.713 हे0 कुल दो किता रकवा 1.019 हे0
4– भूराजस्व	–	15.20 रू0
5– भूमिधर का नाम व पता	–	प्रार्थी यशपाल पचैया सचिव/प्रबन्धक पचैया शिक्षा समिति जाजनपट्टी व श्रीमती उर्मिला पचैया कालेज जाजनपट्टी मगोर्रा सचिव/प्रबन्धक यशपाल पचैया पुत्र विजय सिंह निवासी जाजनपट्टी मगोर्रा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा।

आदेश की प्रति तहसीलदार, गोवर्धन को राजस्व अभिलेखो मे इन्द्राज कराने हेतु व उप निबन्धक मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। तहसीलदार गोवर्धन की रिपोर्ट आदेश का अंग रहेगी। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे ।

सत्यप्रतिलिपि

अहलमद उपजिलाधिकारी
गोवर्धन (मथुरा)

(सदानन्द गुप्ता)
उप जिलाधिकारी,गोवर्धन
मथुरा ।